



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, बिजनौर (पी-2)
पीठासीन अधिकारी का नाम:- शालिनी तिवारी
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460511257
वाद संख्या:- 11257/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम साबिद
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 01/06/2026

ग्राम- गहलवारा, परगना काकोरी तहसील सरोजनी नगर जिला लखनऊ की खतौनी सन् 1426-1431 फ० की गाटा संख्या 212 का कुल रकबा 0.1520हे० में से विक्रित रकबा 0.0303हे० व गाटा सं० 195स का कुल रकबा 0.1200हे० में से विक्रित रकबा 0.0240हे० व गाटा सं० 229 का कुल रकबा 0.0250हे० में से विक्रित रकबा 0.0024 हे० व गाटा सं० 226 का कुल रकबा 0.1900हे० में से विक्रित रकबा 0.0189हे० व गाटा सं० 231 का कुल रकबा 0.0130हे० में से विक्रित रकबा 0.0017हे० व गाटा सं० 228 का कुल रकबा 0.0380 हे० में से विक्रित रकबा 0.0037हे० व गाटा सं० 525 का कुल रकबा 0.2530हे० में से विक्रित रकबा 0.0253हे० व गाटा सं० 160 का कुल रकबा 0.2730हे० में से विक्रित रकबा 0.0273हे० व गाटा सं० 153/2 का कुल रकबा 0.2530हे० में से विक्रित रकबा 0.0843हे० व गाटा सं० 613 का कुल रकबा 0.3670 में से विक्रित रकबा 0.1223हे० व गाटा सं० 357 का कुल रकबा 0.2550हे० में से विक्रित रकबा 0.0850हे० कुल रकबा 1.9390हे० में से विक्रित रकबा 0.4252 हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मांगुं 60ख से विक्रेता श्री साबिद पुत्र हसिम निवासी गहलवारा लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम जरिये विक्रय पत्र दिनांक 16.03.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो।

क्रमांक संख्या :- 4501

विक्रय मूल्य : 1,19,05,600/

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार, (न्यायिक)
 पीठासीन अधिकारी का नाम:- सुखवीर सिंह
 मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460510051
 वाद संख्या:- 10051/2026
 ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम हनीफ
 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
 " अंतिम आदेश "
 आदेश तिथि:- 01/06/2026

वाद सं०-
 ग्राम-गहलवारा
 निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 10.03.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इशतहार जारी किया गया। वाद मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य मे नियत किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी प्रस्तुत किया। यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने मे कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश
 अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1425 से 1430 की खसरा सं० 160 का कुल रकबा 0.2730हे० में से विकीत रकबा 0.0273हे०, खसरा सं० 195स का कुल रकबा 0.1200हे० में से विकीत रकबा 0.0240हे०, खसरा सं० 212 का कुल रकबा 0.1520हे० में से विकीत रकबा 0.0303हे०, खसरा सं० 228 का कुल रकबा 0.0380हे० में से विकीत रकबा 0.0037हे०, खसरा सं० 226 का कुल रकबा 0.1900हे० में से विकीत रकबा 0.01890, खसरा सं० 229 का कुल रकबा 0.0250हे० में से विकीत रकबा 0.0024हे०, खसरा सं० 231 का कुल रकबा 0.0130हे० में से विकीत रकबा 0.0012हे०, खसरा सं० 525 का कुल रकबा 0.2530हे० में से विकीत रकबा 0.0253हे०, खसरा सं० 153/2 का कुल रकबा 0.2530हे० में से विकीत रकबा 0.0843हे०, खसरा सं० 357 का कुल रकबा 0.2550हे० में से विकीत रकबा 0.0850हे०, खसरा सं० 613 का कुल रकबा 0.3670हे० में से विकीत रकबा 0.1224हे०, कुल रकबा 1.9390 हे० में से विकीत रकबा 0.4248हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्री हनीफ पुत्र हासिम निवासी गहलवारा लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 10.03.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, खुशहालगंज (पी-2)
पीठासीन अधिकारी का नाम:- जितेंद्र कुमार शर्मा
मण्डल :लखनऊ, जनपद :लखनऊ, तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T2026104618550
वाद संख्या:- 18550/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम साबिद
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 05/06/2026

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम- गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1425-1430 फसली के खाता संख्या 00033 की गाटा संख्या खसरा सं० खसरा सं०.212 का कुल रकबा 0.1520हे० में से विकीत रकबा 0.0303हे०, खतारा सं० 195स का कुल रकबा 0.1200 हे० में से विकीत रकबा 0.0240हे०, खसरा सं० 229 का कुल रकबा 0.0250 हे० में से विकीत रकबा 0.00240, खसरा सं० 226 का कुल रकबा 0.1900हे० में से विकीत रकबा 0.0189हे०, खसरा सं० 231 का कुल रकबा 0.0130हे० में से विकीत रकबा 0.0017हे०, खसरा सं० 228 का कुल रकबा 0.0380हे० में से विकीत रकबा 0.0037हे०, खसरा सं० 525 का कुल रकबा 0.2530हे० में से विकीत रकबा 0.0253हे०, खसरा सं० 160 का कुल रकबा 0.2730हे० में से विकीत रकबा 0.0273हे० खसरा सं० 15382 का कुल रकबा 0.2530हे० में से विकीत रकबा 0.0843 हे०, खसरा सं० 613 का कुल रकबा 0.3670हे० में से विकीत रकबा 0.1223 हे०, खसरा सं० 357 का कुल रकबा 0.2550हे० में से विकीत रकबा 0.0850हे०, कुल रकबा 1.9390 हे० में से विकीत रकबा 0.4252 हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मांगुं 60ख से विक्रेता:- श्री साबिद पुत्र हासिम निवासी गहलवारा लखनऊ उ०प्र० का नाम निस्त करके क्रेता- मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ नाम जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16.03.2026 सं०भू० अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"